न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ0 भंवर लाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 01/2016

दायर दिनांकः 12.01.2016

निर्णय दिनांक 04.07.2024

—: अनवान :—

श्री पन्ना पुत्र स्व0 कूका उर्फ किशना कौम गाडरी निवासी बागोल आयु 65 वर्ष, पेशा—काश्त, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री ग्राम पंचायत बागोल जरिये सरपंच साहब बागोल
2. श्री नारायण उर्फ नारू पुत्र स्व0 कूका जी गाडरी निवासी बागोल, आयु 55 वर्ष, पेशा – काश्त, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
3. श्री पूर्णाशंकर पुत्र मगनलाल पुरोहित (ब्राहम्ण) निवासी बागोल आयु 50 वर्ष, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 पंचायतीराज संस्थान अधिनियम 1994

उपस्थितः—

1— श्री ललित कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री अनिल बागोरा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3— अप्रार्थी संख्या 02 व 03 अनुपस्थित

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है यह कि मौजा गाँव बागोल, तहसील नाथद्वारा में प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य के चार बाडे अन्दर हल्का आबादी में स्थित है जिन्हें घाटी के बाडे से जाना जाता है, जो प्रार्थी को दिनांक 26—11—73 को खीमा पुत्री भेरा जी गाडरी निवासी बागोल द्वारा रजि0 विकय पत्र से प्राप्त हुए जिन पर प्रार्थी का तन्हा कब्जा एवं आधिपत्य चला आ रहा है एवं विपक्षी संख्या 2 को एक बाडा वापरने हेतु दिया जिसमें उसने निवास का मकान बनाया तथा शेष भाग भेड़े रखना चालू रखा। विपक्षी संख्या 2 के मन में बदियान्ति आने से विपक्षी संख्या 1 से मिलकर उक्त बाडे की जमीन आबादी एवं पुराना कब्जा बताकर विपक्षी संख्या 1 से दिनांक 6—9—2013 को पट्टा प्राप्त कर विपक्षी संख्या 3 को 600 वर्गफीट का भूखण्ड दिनांक 24—11—2014 को विक्रय कर दिया जबकि विपक्षी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 को कथित जमीन का पट्टा देना एवं लेने का अधिकार नहीं था तथा प्रार्थी को विपक्षी संख्या 3 के रजिस्टर्ड विकय पत्र से सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर, विपक्षी संख्या

1 के कार्यालय से पट्टा सम्बन्धित पत्रावली बाबत् जानकारी मांगी तो विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 29–9–2015 को पट्टा संबधित पत्रावली के संबंध में अनभिज्ञता जाहीर की, अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने विवादित जमीन के सम्बन्ध में कोई जाँच नहीं की तथा न ही प्रार्थी को सूचना दी गई तथा सारी अवैध कार्यवाही उसे पीठ पिछे की गई, इसलिये उक्त पट्टा अवैध होकर काबील निरस्त के है तथा विपक्षी संख्या 2 में कोई हक, अधिकार पैदा नहीं करता है। पट्टे में पुराने कब्जे के तथ्यों को भी गलत अंकन किया गया है। कानून में पट्टे वाली जमीन का आधिपत्य 50 वर्ष पूराना होना जरूरी है, इसलिये कथित पट्टा अवैध होकर विपक्षी संख्या 2 का कोई अधिकार पैदा नहीं करता है। कथित पट्टा मिलीभगत से प्राप्त किया गया है तथा अल्टीवीयर मोटीव की बू आती है। विवादित जमीन का एक मात्र मालिक एवं काबीज प्रार्थी है तथा विपक्ष संख्या 2 से विपक्षी संख्या 3 का क्रय करना भी अवैध है। प्रार्थी ने उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली के बारे में काफी खोज बीन करने से काफी समय व्यतीत हुआ है, उसके बावजूद हल्का पंचायत से दिनांक 29–9–2015 को पट्टा संबधित तथ्य उपलब्ध कराने में असर्मथता जाहीर करने से निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद पेश है। प्रार्थी का कोई प्रमाद नहीं है। अतः प्रार्थना है कि कथित पट्टा दिनांक 6–9–2013 (आवासीय भूमि का पट्टा) ग्राम पंचायत बागोल का जो विपक्षी संख्या 2 के नाम से जारी किया जिसके क्रमांक एवं पत्रावली संख्या 019 एवं क्रमांक 011 दिनांक 6–9–2013 को खारीज फरमायें। अतः निगरानीकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बागोल द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने अपनी उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 अनुपस्थित।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निगरानी याचिका में लिए गए आधारो को दोहराते हुए एवं लिखित बहस में निवेदन किया कि ग्राम बागोल में प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य के चार बाड़े अन्दर हल्का आबादी में स्थित हैं। बाड़ों को घाटी के बाड़े के नाम से जाना जाता है, जिन्हें प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र द्वारा दिनांक 26/11/1973 को खीमा पुत्री भेरा जी गाडरी, निवासी बागोल से क्रय किया, तब से प्रार्थी उक्त बाड़ो पर काबिज हो उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी को यह ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत बागोल के द्वारा बिना किसी आधार के नारायण गाडरी को पट्टा जारी कर पट्टा दिनांक 06/09/2013 को जारी किया गया एवं उसके पश्चात् नारायण गाडरी के द्वारा उक्त

Bulla

न्यायालय जिला कलक्टर

पट्टशुदा भूमि को पूर्णाशंकर पुरोहित को दिनांक 24/11/2014 को विक्रय कर दिया गया, तो प्रार्थी के द्वारा ग्राम पंचायत बागोल में उक्त वर्णित नारायण गाडरी के पट्टे के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, तो ग्राम पंचायत बागोल द्वारा उक्त पट्टे के सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की। विपक्षी ग्राम पंचायत बागोल के द्वारा जो पट्टा दिनांक 06/09/2013 का नारायण पिता कुका जी गाडरी को दिया गया, वह बिना किसी आधार के कानून के विपरीत जाकर जारी किया। ग्राम पंचायत बागोल एवं नारायण गाडरी ने आपस में मिलीभगत कर प्रार्थी की क्रयशुदा एवं कब्जेशुदा बाड़ो के सम्बन्ध में गलत रूप से पट्टा जारी किया है। पंचायत राज अधिनियम के नियम 182 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टों के सम्बन्ध में कोरम में कार्यवाही कर पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया जाता है. तत्पश्चात् ही किसी भी आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जाती हैं। पट्टा जारी करने के पश्चात् पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर मय मुहर होना आवश्यक है तथा जारी किये गये पट्टे पर प्रस्ताव के संख्या एवं दिनांक भी अंकित होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत बागोल द्वारा जो पट्टा नारायण पिता कुका जी गाडरी के पक्ष में दिनांक 06/09/2013 जारी किया, उस पर सरपंच, सचिव के हस्ताक्षर मय मुहर नहीं हैं. न ही उस पर किसी प्रकार के कोई प्रस्ताव की संख्या ही अंकित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे के सम्बन्ध में कोई भी विधि अनुरूप कार्यवाही नहीं कर केवल मात्र किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के आशय से उक्त पट्टा जारी किया है, जबकि उक्त पट्टे में वर्णित भूमि वास्तविक रूप से प्रार्थी के हक, अधिकार की है एवं प्रार्थी ही उक्त भूमि पर सन् 1973 से काबिज हो निर्वाद्ध रूप से उपयोग–उपभोग कर रहा है। ग्राम पंचायत बागोल को भी उक्त सम्बन्ध में प्रार्थी को सूचित कर उक्त कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो नहीं कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत बागोल के द्वारा जो पट्टा नारायण गाडरी के पक्ष में जारी किया, यह पट्टे वाली भूमि पर 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जे होने के आधार पर जारी किया है. जो कि स्पष्टतः गलत हैं, क्योंकि जिस भूमि के सम्बन्ध में पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर तो प्रार्थी पन्नालाल का ही आधिपत्य है, जो विगत 47 वर्ष से निवार्द्ध रूप से उक्त भूमि पर काबिज हो कायम हैं। इसलिए ग्राम पंचायत बागोल के द्वारा पुराने आधिपत्य के आधार पर जो पट्टा नारायण गाडरी के पक्ष में जारी किया गया है, इस आधार पर खारिज होने योग्य है। उक्त पट्टे के भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी पन्नालाल द्वारा एक दिवानी वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का अतिक्रमी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अतिक्रमी के विरूद्ध आदेश दिया गया। उक्त आदेश में भी प्रार्थी के पट्टशुदा मूखण्ड पर कब्जा वर्ष 1973 से ही कब्जा होना दिवानी न्यायालय ने माना है और उसी आधार पर प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का ही उक्त घाटी के बाड़ो पर स्वामित्व होकर वही उक्त बाड़ो पर काबिज हो उपयोग–उपभोग कर रहा है। ग्राम पंचायत बागोल द्वारा, जो पट्टा नारायण गाडरी को प्रार्थी के भूखण्ड (बाड़ा) के सम्बन्ध में दिया गया है. वह स्पष्ट रूप से काबिल निरस्ती के हैं। क्योंकि उक्त भूखण्ड प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र से क्रय कर स्वामित्व व कब्जा प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को सूचित कर उक्त कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो नहीं कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के

न्यायालय जिला कलक्टर

विपरीत होने से पट्टा निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत बागोल के द्वारा जो पट्टा नारायण गाडरी के पक्ष में जारी किया, यह पट्टे वाली भूमि पर 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जे होने के आधार पर जारी किया है. जो कि स्पष्टतः गलत हैं, क्योंकि जिस भूमि के सम्बन्ध में पट्टा जारी किया गया है. उस भूमि पर तो प्रार्थी पन्नालाल का ही आधिपत्य है, जो विगत 47 वर्ष से निवार्द्ध रूप से उक्त भूमि पर काबिज हो कायम हैं। इसलिए ग्राम पंचायत बागोल के द्वारा पुराने आधिपत्य के आधार पर जो पट्टा नारायण गाडरी के पक्ष में जारी किया गया है. इस आधार पर खारिज होने योग्य है। उक्त पट्टे के भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी पन्नालाल द्वारा एक दिवानी वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का अतिक्रमी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसमें भी न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अतिक्रमी के विरूद्ध आदेश दिया गया। उक्त आदेश में भी प्रार्थी के पट्टशुदा भूखण्ड पर कब्जा वर्ष 1973 से ही कब्जा होना दिवानी न्यायालय ने माना है और उसी आधार पर प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का ही उक्त घाटी के बाड़ो पर स्वामित्व होकर वही उक्त बाड़ो पर काबिज हो उपयोग–उपभोग कर रहा है। ग्राम पंचायत बागोल द्वारा, जो पट्टा नारायण गाडरी को प्रार्थी के भूखण्ड (बाड़ा) के सम्बन्ध में दिया गया है. वह स्पष्ट रूप से काबिल निरस्ती के हैं। क्योंकि उक्त भूखण्ड प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र से क्रय कर स्वामित्व व कब्जा प्राप्त किया गया है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बागोल द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता गैर निगराकार की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब में लिए गए आधारो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत बागोल द्वारा नियमानुसार निर्धारित विधिक प्रक्रिया अनुसार पट्टा क्रमांक 11 दिनांक 08.09.2013 पार्थी श्री नारायण गाडरी पिता कुका गायरी के नाम पट्टा जारी किया गया था। कोरम बैठक में की गई कार्यवाही अनुसार दिनांक 06.07.2013 को प्रार्थी श्री नारायण गाडरी पिता कुका गायरी द्वारा पट्टा हेतु आवेदन प्राप्त हुआ जिस पर दिनांक 23.07.2013 को आपत्ति आव्हान किया गया एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 06.09.2013 को पट्टा जारी करने का प्रस्ताव लिया जाकर नियमानुसार पट्टा क्रमांक 11 दिनांक 06.09.2013 प्रार्थी श्री नारायण गाडरी पिता कुका गायरी के नाम पट्टा जारी किया गया। उक्त प्रकरण में श्री मान् जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के पत्रांक 295 दिनांक 17.02.2021 कि पालना में कार्यालय पंचायत समिति खमनोर के आदेश क्रमांक 2943 दिनांक 25.02. 2021 के आधार पर दिनांक 02/03/2021 को मौका पर्चा रिपोर्ट बनाई गई जिसके अनुसार वादग्रस्त स्थान पर नारायण गाडरी पुत्र कुका गायरी लगभग 50 वर्षों से काबिज है जिसमे से कुछ हिस्सा नारायण गाडरी पुत्र कुका गायरी द्वारा पूर्णाशकर पिता मगनलाल पुरोहित को बेचा गया एवं मौतबिरानों अनुसार पूर्णाशंकर पिता मगनलाल पुरोहित द्वारा ये हिस्सा जाकीर पित्ता अमीर मोहम्मद को बेचा गया है। अतः निवेदन है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत उक्त गिगरानी प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। निगराकार द्वारा उक्त निगरानी याचिका ग्राम पंचायत बागोल के द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष मे जारी किये गये पट्टे के संबंध में प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है। वह ग्राम पंचायत बागोल द्वारा नियमानुसार निर्धारित विधिक प्रक्रिया अनुसार जारी किया गया। कोरम बैठक में की गई कार्यवाही एवं दिनांक 23.07.2013 को आपत्ति आव्हान पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 06.09.2013 को पट्टा जारी करने का प्रस्ताव लिया जाकर नियमानुसार पट्टा क्रमांक 11 दिनांक 06.09.2013 प्रार्थी श्री नारायण गाडरी पिता कुका गायरी के नाम पट्टा जारी किया गया। तथा दिनांक 02/03/2021 को मौका पर्चा रिपोर्ट में भी विपक्षी संख्या 02 के वादग्रस्त स्थान पर लगभग 50 वर्षों से काबिज होना पाया गया। लेकिन उक्त पट्टे के भूखण्ड के सम्बन्ध में एक वाद प्रकरण संख्या 168/2014 ई.दी. व 166/2014 मु.दी. न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा में विचाराधीन होने से निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा के निर्णय के अध्याधीन रखते हुए आंशीक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा के निर्णय के अध्याधीन रखते हुए आंशीक रूप से स्वीकार की जाती हैं। उक्त प्रकरण को इस निर्देश के साथ ग्राम पंचायत बागोल को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय, नाथद्वारा के निर्णय के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Bulla

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 04.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

Bulla

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद